संख्या-28/2016/वे0आ0-2-493/दस-16-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 30 मई, 2016**

विषय- वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग के मनोरंजन कर निरीक्षक की वेतन विसंगति तथा उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संवर्ग के पुनर्गठन से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग के मनोरंजन कर निरीक्षक की वेतन विसंगति तथा उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संवर्ग के पुनर्गठन से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित हुआ। उक्त प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 29 मार्च, 2016 को मुख्य सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

2- मुख्य सचिव समिति की उपर्युक्त बैठक दिनांक 29 मार्च, 2016 का कार्यवृत संलग्न कर प्रेषित है। कृपया अवगत होना चाहें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-28/2016/वे0आ0-2-493(1)/दस-16-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वाणिज्य कर एवं मंनोरजन कर विभाग के विभिन्न पदों की वेतन विसंगति पर विचार करने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति की बैठक दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 तथा 29 मार्च, 2016 का कार्यवृत्त।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न उपर्युक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :—

(1) श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग — सदस्य

(2) श्री किशन सिंह अटोरिया, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग — सदस्य

(3) श्री वीरेश कुमार, प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग — सदस्य

(4) श्री अजय अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग — सदस्य सचिव

समिति द्वारा उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संघ की मॉगों एवं तत्क्रम में विभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर निम्नानुसार विचार किया गया :———

(1) मनोरंजन कर निरीक्षक की वेतन विसंगति —

मनोरंजन कर विभाग में मनोरंजन कर निरीक्षक के पद की वेतन विसंगति का प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया समिति को अवगत कराया गया कि मनोरंजन कर विभाग के मनोरंजन कर निरीक्षक के पद पर वर्तमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन रु0 4200/— को उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन रु0 4600/— किये जाने का प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग द्वारा किया गया है। इसके पूर्व यह प्रकरण मुख्य सचिव समिति की बैठक में दिनांक 07 अगस्त, 2013 तथा 18 मार्च, 2015 को विचारार्थ प्रस्तुत हो चुका है। दिनांक 07 अगस्त, 2013 की बैठक में यह अभिमत बना कि मनोरंजन कर निरीक्षक के ग्रेड वेतन में वृद्धि से मनोरंजन कर विभाग के संवर्गीय ढॉचे के पदों व विभाग के अन्य पदों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा प्रदेश के कतिपय अन्य विभागों जहॉ निरीक्षक श्रेणी के पद विद्धमान हैं, उनके संवर्गीय ढॉचे के पदों पर पड़ने वाले प्रभाव को परीक्षण कर लिया जाये। इस बिन्दु पर परीक्षण के उपरान्त प्रकरण दिनांक 18 मार्च, 2015 की बैठक में विचारार्थ रखा गया। बैठक में विचारोपरान्त यह अभिमत बना कि प्रकरण में अभी और परीक्षण किये जाने के दृष्टिगत इसे स्थगित रखा जाय।

मुख्य सचिव समिति में दिनांक 07 अगस्त, 2013 में हुए विचार—विमर्श तथा लिये गये निर्णय के कम में यह उल्लेखनीय है कि परीक्षणोपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा यह आख्या उपलब्ध करायी गयी है कि मनोरंजन कर निरीक्षक के ग्रेड वेतन में वृद्धि से मनोरंजन कर विभाग के संवर्गीय ढॉचे में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और मनोरंजन कर निरीक्षक के पद का ग्रेड वेतन रु0 4600/— किये जाने को औचित्यपूर्ण बताया गया है। मनोरंजन कर निरीक्षक के पदों की तुलना आबकारी निरीक्षक से करते हुए यह उल्लेख किया गया है कि आबकारी विभाग व मनोरंजन कर विभाग दोनों ही राजस्व अर्जित करने वाले विभाग हैं तथा विभाग में निरीक्षकों के

कार्य की प्रकृति एवं पदीय दायित्व लगभग समान होने का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आबकारी निरीक्षक का वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/– है जबकि मनोरंजन कर निरीक्षक के पद का वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– है। जहॉ तक अन्य विभागों जहॉ निरीक्षक श्रेणी के पद विद्यमान हैं उनके संवर्गीय ढॉचे पर पड़ने वाले प्रभाव का परीक्षण विभागीय प्रस्ताव में नहीं है। वर्तमान में विभाग में विभागीय अधिकारियों का ढॉचा निम्नवत् है :––

क0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन	भर्ती की विधि/शैक्षिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संयुक्त मनोरंजन कर आयुक्त	01	वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7600/–	उप मनोरंजन कर आयुक्त से पदोन्नति द्वारा।
2	उप मनोरंजन कर आयुक्त	06	वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 6600/–	सहायक मनोरंजन कर आयुक्त से पदोन्नति द्वारा।
3	सहायक मनोरंजन कर आयुक्त	14	वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/–	जिला मनोरंजन कर आयुक्त से पदोन्नति द्वारा।
4	जिला मनोरंजन कर अधिकारी	47	वेतन बैण्ड–2, 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/–	मनोरंजन कर निरीक्षक से पदोन्नति द्वारा।
5	मनोरंजन कर निरीक्षक	289	वेतन बैण्ड–2, 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/–	83.33 प्रतिशत सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग से एवं 16.67 प्रतिशत वरिष्ठ सहायक से पदोन्नति द्वारा।

(ii)तत्थात्मक स्थिति :–– प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव के क्रम में यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड–2 पदनाम से वेतनमान रु0 4500–7000 तथा मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड–1 पदनाम से पद वेतनमान रु0 5000–8000 में थे। मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड–1 का पद मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड–2 से शत–प्रतिशत पदोन्नति का पद था। वेतन समिति (2008) के आठवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड–2 के पदों पर दिनांक 01 जनवरी, 1996 से प्रभावी वेतनमान रु0 4500–7000 के स्थान पर वेतनमान रु0 5000–8000 के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तात्कालिक प्रभाव से दिये जाने का निर्णय दिनांक 09 मार्च, 2010 के आदेश के द्वारा लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त तिथि से मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड–2 एवं मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड–1 के पदों को संविलीन कर पदनाम मनोरंजन कर निरीक्षक रखा जाये। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों में निरीक्षक के पद वेतनमान रु0 4500–7000 में थे जिनमें से कुछ विभागों में उनका वेतनमान उच्चीकृत कर रु0 5000–8000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन

रु0 4200/– अनुमन्य किया गया है। इनमें से मुख्यतः निम्नवत् निरीक्षक श्रेणी के पद हैं :——

क0 सं0	पदनाम/विभाग का नाम	पूर्व वेतनमान	वेतन समिति (2008)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	शैक्षिक अर्हता एवं भर्ती की विधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सहकारी निरीक्षक वर्ग–2, सहकारिता विभाग	4500–7000	5000–8000 सादृश्य वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/–	66 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं शेष पदोन्नति द्वारा। अर्हता– स्नातक।
2	पूर्ति निरीक्षक, खाद्य एवं रसद विभाग	–तदैव–	–तदैव–	75 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं शेष पदोन्नति द्वारा। अर्हता– स्नातक।
3	विपणन निरीक्षक, खाद्य एवं रसद विभाग	–तदैव–	–तदैव–	75 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं शेष पदोन्नति द्वारा। अर्हता– स्नातक।
4	निरीक्षक बॉटमाप, बॉट एवं माप विभाग	–तदैव–	–तदैव–	75 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं शेष पदोन्नति द्वारा। अर्हता– स्नातक।
5	खाडसारी निरीक्षक, चीनी उद्योग विभाग	–तदैव–	–तदैव–	75 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं शेष पदोन्नति द्वारा। अर्हता– स्नातक।
6	गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास विभाग	–तदैव–	–तदैव–	50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं शेष पदोन्नति द्वारा। अर्हता– स्नातक।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के निरीक्षक विद्यमान हैं जिन पर वर्तमान में वेतनमान रु0 4500–7000 के सादृश्य बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/– अनुमन्य है और उनके द्वारा ग्रेड वेतन उच्चीकृत किये जाने की मॉग की जाती रही है। इस श्रेणी के निरीक्षकों का विवरण निम्नवत् है :——

क0 सं0	पदनाम	विभाग का नाम	वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	शैक्षिक अर्हता एवं भर्ती की विधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	वर्गीकरण निरीक्षक	कृषि एवं विदेश व्यापार विभाग	4500–7000 सादृश्य वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/–	50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा। **अर्हता–** कृषि/अर्थशास्त्र/शस्य विज्ञान/कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि।

2	मत्स्य निरीक्षक	मत्स्य विभाग	–तदैव–	50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा। **अर्हता**– बी0एस0सी0 बायो।
3	दुग्ध निरीक्षक	दुग्ध विकास विभाग	–तदैव–	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।
4	गृह निरीक्षक	श्रम विभाग	–तदैव–	50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा। **अर्हता**– स्नातक।
5	राजस्व निरीक्षक	राजस्व विभाग	–तदैव–	33.33 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं शेष पदोन्नति द्वारा। **अर्हता**– स्नातक।

(iii) समिति की संवीक्षा :–– आबकारी निरीक्षक से समानता के आधार पर उच्च ग्रेड वेतन की मॉग के क्रम में समिति ने यह पाया कि आबकारी निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती की अर्हता स्नातक होने के साथ–साथ इस पद हेतु शारीरिक मापदण्ड की न्यूनतम सीमा भी निर्धारित है तथा आबकारी निरीक्षक के कार्य एवं उत्तरदायित्व में व्यापक अन्तर है। पूर्व में मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड–2, जो सीधी भर्ती का पद था, वेतनमान रु0 4500–7000 में था। तत्समय आबकारी निरीक्षक का पद वेतनमान रु0 5000–8000 में था। वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड–2 का वेतनमान रु0 4500–7000 के स्तर से वेतनमान रु0 5000–8000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– के स्तर पर उच्चीकृत किया गया और वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर ही आबकारी निरीक्षक वेतनमान रु0 5000–8000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– को वेतनमान रु0 6500– 10500 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/– के स्तर पर उच्चीकृत किया गया है। इस प्रकार आबकारी निरीक्षक से मनोरंजन कर निरीक्षक का पद तुलनीय नहीं है।

उत्तर प्रदेश मनोरंजन कर निरीक्षक संघ के मॉग पत्र दिनांक 08 जुलाई, 2015 में नया बिन्दु यह उठाया गया है कि उनके द्वारा वर्ष में 365 दिन प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 02:00 बजे तक (मल्टी फ्लैक्श छवि गृहों में प्रदर्शन 02:00 बजे रात तक होता है) राजकीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति समर्पित रहता है। इसके बदले निरीक्षकों को न कोई अतिरिक्त भुगतान प्राप्त होता है और न ही उसे कोई अतिरिक्त अवकाश अनुमन्य है। निरीक्षकों द्वारा सार्वजनिक अवकाशों एवं त्यौहारों के अवसरों पर भी सामान्य दिनों की भांति अनिवार्य रूप से निरीक्षण कार्य करना पड़ता है। ऐसे अवसरों में पर निरीक्षण कार्य के प्रति दायित्व और बढ़ जाता है क्योंकि अवकाश के दिनों में सिनेमाओं में दर्शकों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में सामान्यता दो से तीन गुना अधिक रहती है। प्रदेश के अन्य किसी भी विभाग में कार्यरत निरीक्षक के दायित्व की प्रकृति ऐसी नहीं कि उन्हें वर्ष के 365 दिन प्रातः 09:00 बजे रात्रि 02:00 बजे तक राजकीय कार्यों के दायित्वों के निर्वहन की अपेक्षा की जाती हो।

संघ की इस मॉग के क्रम में समिति ने यह पाया कि राजकीय विभागों में विभिन्न पदों के कार्य एवं दायित्व इस प्रकार के है कि उन्हें 24 घण्टे में किसी भी समय कार्य एवं दायित्व के लिए उपस्थित होना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप चिकित्सा विभाग के चिकित्सक सहित पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज तथा वार्ड ब्याय आदि का कार्य वर्ष के 365 दिन तथा 24 घण्टे में किसी भी समय करना पड़ता है। इस प्रकार पुलिस विभाग तथा आबकारी, वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार जॉच के कार्य हेतु 24 घण्टे में किसी भी समय कार्य पर उपस्थित होना पड़ता है। यह विभाग की कार्य प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके आधार पर उच्च वेतनमान दिये जाने का आधार नहीं बनता है।

(iv) समिति की संस्तुतियॉ :——

सम्यक विचारोपरान्त समिति की संस्तुति है कि मनोरंजन कर निरीक्षक के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन को यथावत बनाये रखा जाय।

(2) वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के संवर्ग का संवर्गीय पुनर्गठन पर विचार :——

उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संघ के मॉग–पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2015 में वाणिज्य कर सेवा के संवर्ग का पुनर्गठन वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर परिवहन विभाग के अधिकारियों के किये गये संवर्ग पुनर्गठन की भॉति किये जाने की मॉग की गई है। परिवहन विभाग से तुलना करते हुए वाणिज्य कर विभाग में संवर्गीय पुनर्गठन किये जाने हेतु निम्नलिखित मॉग की गयी है :——

(1) वाणिज्य कर विभाग में परिवहन विभाग की भॉति असिस्टेन्ट कमिश्नर के दो तिहाई पदों को वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/– में तथा एक तिहाई पद को असिस्टेन्ट कमिश्नर वरिष्ठ वेतनमान के पदनाम से वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 6600/– में रखा जाये।

(2) वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर के पद पर परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर की भॉति वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 6600/– के स्थान पर वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7600/– अनुमन्य किया जाये।

(3) ज्वाइन्ट कमिश्नर, व्यापार कर के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7600/– के स्थान पर परिवहन विभाग के ज्वाइन्ट कमिश्नर की भॉति वेतन बैण्ड–4, रु0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8700/– अनुमन्य किया जाये।

(4) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2, वाणिज्य कर का पद वर्तमान में वेतन बैण्ड–4, रु0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8700/– में है। इस पद का पदनाम एडीशनल कमिश्नर रखते हुए इस पद पर अपर आयुक्त परिवहन की भॉति वेतन बैण्ड–4, रु0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8900/– अनुमन्य किया जाये।

(5) वर्तमान में वाणिज्य कर विभाग में वेतन बैण्ड–4, रु0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8900/– में पद उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 के 21 पद वेतन बैण्ड–4, रु0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8900/– में हैं। इन पदों का पदनाम जोनल कमिश्नर रखते हुए वेतन बैण्ड–4, रु0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रु0 10000/– में रखा जाये।

(ii) तत्थात्मक स्थिति :––

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में परिवहन विभाग के अधिकारियों के संवर्ग को पुनर्गठित करते हुए निम्नवत् ढॉचा बनाये जाने का निर्णय लिया गया :––

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान
(1)	(2)	(3)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी साधारण वेतनमान	128	8000–13500 सादृश्य वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/–
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान	63	10000–15200 सादृश्य वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 6600/–
सम्भागीय परिवहन अधिकारी	34	12000–16500 सादृश्य वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7600/–
उप परिवहन आयुक्त	13	14300–18300 सादृश्य वेतन बैण्ड–4, रु0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8700/–
अपर परिवहन आयुक्त	04	16400–20000 सादृश्य वेतन बैण्ड–4, रु0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8900/–
विशेष सचिव/अपीलेट अथारिटी	02	18400–22400 सादृश्य वेतन बैण्ड–4, रु0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रु0 10000/–

प्रदेश में मूल्य सम्वर्धित कर प्रणाली (वैट) व्यवस्था लागू होने से राजस्व में अधिकाधिक वृद्धि लाने के उद्देश्य से वाणिज्य कर विभाग में शासनादेश संख्या–क0नि0–4–902/11–2000–400(35)/91, दिनांक 13 जून, 2008 के द्वारा विभिन्न पदों का सृजन किया गया था जिन्हें सम्मिलित करते हुए वेतन समिति (2008) के समक्ष

उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वाणिज्य कर विभाग में संवर्गीय ढॉचा निम्नानुसार उपलब्ध होने की सूचना दी गयी थी :—

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान	भर्ती की विधि एवं अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)
असिस्टेन्ट कमिश्नर	964	8000—13500	50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा। अर्हता — स्नातक।
डिप्टी कमिश्नर	494	10000—15200	असिस्टेन्ट कमिश्नर से पदोन्नति द्वारा।
ज्वाइन्ट कमिश्नर	157	12000—16500	डिप्टी कमिश्नर से पदोन्नति द्वारा।
एडिशनल कमिश्नर ग्रेड—2	77	14300—18300	ज्वाइन्ट कमिश्नर से पदोन्नति द्वारा।
एडिशनल कमिश्नर ग्रेड—1	21	16400—20000	एडिशनल कमिश्नर ग्रेड—2 से पदोन्नति द्वारा।
सदस्य सेटिलमेन्ट कमीशन	06	18400—22400	वाणिज्य कर सेवा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

संघ की मॉग के क्रम में परिवहन विभाग के सापेक्ष पुनर्गठन किये जाने की दशा में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों का संवर्ग निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाना होगा :—

वाणिज्य कर विभाग का वर्तमान ढॉचा			प्रस्तावित संशोधित ढॉचा		
पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
असिस्टेन्ट कमिश्नर	964	वेतन बैण्ड—3, रु0 15600—39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/—	असिस्टेन्ट कमिश्नर साधारण वेतनमान	643	वेतन बैण्ड—3, रु0 15600—39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/—
			असिस्टेन्ट कमिश्नर वरिष्ठ वेतनमान	321	वेतन बैण्ड—3, रु0 15600—39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 6600/—
डिप्टी कमिश्नर	494	वेतन बैण्ड—3, रु0 15600—39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 6600/—	डिप्टी कमिश्नर	494	वेतन बैण्ड—3, रु0 15600—39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7600/—
ज्वाइन्ट कमिश्नर	157	वेतन बैण्ड—3, रु0 15600—39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 7600/—	ज्वाइन्ट कमिश्नर	157	वेतन बैण्ड—4, रु0 37400—67000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8700/—
एडिशनल कमिश्नर ग्रेड—2	77	वेतन बैण्ड—4, रु0 37400—67000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8700/—	एडिशनल कमिश्नर	77	वेतन बैण्ड—4, रु0 37400—67000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8900/—

एडिशनल कमिश्नर ग्रेड–1	21	वेतन बैण्ड–4, रु0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रु0 8900/–	जोनल कमिश्नर	21	वेतन बैण्ड–4, रु0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रु0 10000/–
सदस्य सेटिलमेन्ट कमीशन	06	वेतन बैण्ड–4, रु0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रु0 10000/–	सदस्य सेटिलमेन्ट कमीशन	06	वेतन बैण्ड–4, रु0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रु0 10000/–

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार परिवहन विभाग में जो ढॉचा बना है तथा वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों का जो ढॉचा विद्यमान है उनमें पदोन्नति के अवसर का तुलनात्मक ढॉचा निम्नवत् बन रहा है :––

परिवहन विभाग			वाणिज्य कर विभाग		
पदनाम/ग्रेड वेतन	स्वीकृत पदों की संख्या	पदोन्नति का अवसर प्रतिशत में	पदनाम/गेड वेतन	स्वीकृत पदों की संख्या	पदोन्नति का अवसर प्रतिशत में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी साधारणवेतनमान/ 5400/–	128	––	असिस्टेन्ट कमिश्नर/ 5400/–	964	––
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान/ 6600/–	63	49.2 प्रतिशत	डिप्टी कमिश्नर/ 6600/–	494	51.2 प्रतिशत
सम्भागीय परिवहन अधिकारी/ 7600/–	34	54.0 प्रतिशत	ज्वाइन्ट कमिश्नर/ 7600/–	157	31.8 प्रतिशत
उप परिवहन आयुक्त/ 8700/–	13	38.2 प्रतिशत	एडिशनल कमिश्नर ग्रेड–2/ 8700/–	77	49.04 प्रतिशत
अपर परिवहन आयुक्त/ 8900/–	04	30.8 प्रतिशत	एडिशनल कमिश्नर ग्रेड–1/ 8900/–	21	27.3 प्रतिशत
विशेष सचिव/अपीलेट अथारिटी/ 10000/–	02	50.0 प्रतिशत	सदस्य सेटिलमेन्ट कमीशन/ 10000/–	06	28.6 प्रतिशत

(iii) समिति की संवीक्षा :––

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गए निर्णय के क्रम में परिवहन विभाग में ग्रेड वेतन रू0 5400/– से लेकर ग्रेड वेतन रू0 10000/– तक के पद हैं और वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी संवर्ग में भी ग्रेड वेतन रू0 5400/– से लेकर ग्रेड वेतन रू0 10000/– तक के पद हैं। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी संवर्ग में

उपलब्ध पदोन्नति के अवसर तथा परिवहन विभाग के अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति के अवसर लगभग समान हैं। प्रशासकीय विभाग यदि अपनी कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर उच्च स्तर के और अधिक पद रखने का औचित्य पाते हैं, तो इसका अध्ययन कर आवश्यक संवर्गीय पुनर्गठन करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। इस हेतु प्रमुख सचिव, वित्त तथा प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग द्वारा बैठक कर पुनर्गठन का औचित्य पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर लें एवं तदोपरान्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव,
वित्त।

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव,
कार्मिक।

(वीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव, वाणिज्य
कर एवं
मनोरंजन कर विभाग।

(अजय अग्रवाल)
सदस्य सचिव।

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।